I/4127/2023

<u>श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 18.04.2023 को दोपहर 2:30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र, सीतापुरा (बहु उत्पाद एसईजेड) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।</u>

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

a. श्री सुरेंद्र कुमार मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड (NSEZ), नोएडा।
b. श्री प्रवीण कुमार मित्तल, संयुक्त आयुक्त, आयकर विभाग, जयपुर
c. श्री रामजीलाल मीणा, उप डीजीएफटी (DGFT), जयपुर
d. श्री अनिल लखानी, उप प्रबंधक, रीको, जयपुर।

उपरोक्त के अलावा, (i) श्री नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, (NSEZ), नोएडा, (ii) श्री बुद्धि प्रकाश, निर्दिष्ट अधिकारी (iii) श्री पंकज शर्मा, सहायक विकास आयुक्त (ADC) (iv) श्री संजय झा, वरिष्ठ आरएम (रीको) भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए बैठक में उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति पूरा हो गया था और बैठक आगे बढ़ सकती थी।

अध्यक्ष ने प्रारंभ में प्रतिभागियों का स्वागत किया और फिर एक-एक करके कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों/आवेदकों के साथ बातचीत के बाद विस्तृत विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

1. दिनांक 15.03.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:

यह बताया गया कि दिनांक 15.03.2023 को आयोजित जेएसईजेड की यूएसी बैठक के कार्यवृत्त में मैसर्स गैलेंट ज्वैलरी के प्रस्ताव में **टंकण की गलती के कारण** " वस्तुओं की समेकित/संशोधित सूची" के रूप में बिंदु संख्या 3.2.6 पर "आइटम की अतिरिक्त सूची" शब्द लिखे गए थे।

तदनुसार, अनुमोदन समिति ने टंकण गलती को संशोधित करने का निर्देश दिया और निर्णय लिया कि **"वस्तुओं की समेकित/संशोधित सूची"** शब्दों को **"वस्तुओं की अतिरिक्त सूची"** के रूप में पढ़ा जा सकता है।

<u>02. अधिकृत मदों की व्यापक सरबंदी के साथ एलओए का नवीनीकरण:</u>

2.1 मैसर्स वीनस आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड :

2.1.1 एलओए संख्या 2-17/2003-एसईजेड-II(जे) परियोजना/ 646 दिनांक: 10.06.2004 के नवीकरण के लिए मैसर्स आम्रपाली एक्सपोर्ट्स, प्लॉट नंबर जी-39 और 40, एसईजेड-II का प्रस्ताव व्यापक सरबंदी के साथ बैठक में अधिकृत मदों पर चर्चा की गई।

2.1.2 श्री वेद प्रकाश सोनी, निदेशक, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ1 जमा करेगी।

2.1.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से चौथे ब्लॉक (2022-2027) में दो साल की शेष अवधि यानी 27.05.2025 तक के लिए निम्नलिखित मदों के निर्माण के साथ एलओए के विस्तार के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी**।

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	उत्पादन क्षमता	मीट्रिक
1.	71131940	कीमती और अर्ध-मोती सहित कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	10	किग्रा
2.	71131960	सोने के प्लेटिनम आभूषण के हिस्से	10	किग्रा
3.	71131990	अन्य कीमती धातु के आभूषण	10	किग्रा
4.	71131120	रत्न (हीरे के अलावा) जड़ित चांदी के आभूषण	400	किग्रा
5.	71131190	चांदी के आभूषण के भाग	100	किग्रा
6.	71131130	चांदी के आभूषण के अन्य सामग्री	50	किग्रा

2.1.4 अनुमोदन, इकाई को पहले ही बता दी गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई सख्ती से वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक: 16.08.2017 का पालन करेगी। इकाई इस उद्देश्य के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम (BLUT) भी निष्पादित करेगी।

03. मौजूदा एलओए में नई मदों को जोड़ना/संशोधित करना:

3.1 मेसर्स एग्केम इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड :

3.1.1 मौजूदा एलओए संख्या 2-120-एसईजेड-II (जे) परियोजना/495 में नई मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मेसर्स एग्केम इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर एच-154, एसईजेड-II का प्रस्ताव पर दिनांक 03.07.2006 को बैठक में चर्चा की गई।

3.1.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से दिनांक 31.12.2013 के वाणिज्य विभाग पत्र और दिनांक 16.02.2023 के पत्र के माध्यम से एसईईपीजेड, एसईजेड से प्राप्त इनपुट के आलोक में मौजूदा एलओए में वस्तुओं के परिवर्धन/संशोधन के लिए इकाई के प्रस्ताव को **खारिज** कर दिया।

3.2 मैसर्स संभव ज्वेल्स:

3.2.1 मौजूदा एलओए संख्या 1-39/2003-एसईजेड-I (जे) परियोजना/604 दिनांक 04.06.2004 में नई मद के परिवर्धन/संशोधन के लिए मैसर्स संभव ज्वेल्स, प्लॉट नंबर एच-37, एसईजेड-I का प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई।

3.2.2 श्री राजीव जैन, प्रोपराइटर, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

3.2.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा एलओए में निम्नलिखित मदों (पहले की मदों के अतिरिक्त) को जोड़ने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	क्षमता	मीट्रिक
1.	71131120	रत्न (हीरे के साथ) जड़ित चांदी के आभूषण	500.00	किग्रा

3.2.4 इकाई को पहले ही बता दी गई प्रस्ताव टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई सख्ती से वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई हीरों से जड़ी चांदी के आभूषणों की रखरखाव के संबंध में विकासक, एनएसईजेड, नोएडा के कार्यालय द्वारा जारी एसओपी का भी पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए BLUT भी निष्पादित करेगी।

3.3 मैसर्स साची ज्वेलरी कं.:

3.3.1 मौजूदा एलओए संख्या 2-1/2015-एसईजेड-II (जे) परियोजना/348 में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मैसर्स साची ज्वेलरी कंपनी, प्लॉट नंबर एच-193, एसईजेड-II, जयपुर का प्रस्ताव पर दिनांक: 29.06.2015 बैठक में पर चर्चा की गई।

3.3.2 श्री उत्कर्ष ओसवाल, पार्टनर, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।
3.3.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा एलओए में मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मदों की समेकित/संशोधित सूची का उल्लेख यहां किया गया है:

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71011020	प्राकृतिक मोती-काम किया	किग्रा	100.00
2.	71012200	संवर्धित मोती - काम किया	किग्रा	100.00
3.	71023910	कट हीरे या अन्यथा काम किया गया, लेकिन चढ़ाया या सेट नही	कैरट	5000.00
4.	71039110	माणिक- काम किया	कैरट	5000.00

5.	71039120	नीलम - काम किया	कैरट	5000.00
6.	71039130	पन्ना - काम किया	कैरट	5000.00
7.	71039911	पीला सुनहरा गुलाबी लाल हरा फीरोज़ा - काम किया	कैरट	5000.00
8.	71039912	चन्द्रवैदूर्य लहसुनिया सहित चन्द्रवैदूर्य - काम किया	कैरट	5000.00
9.	71039913	अलेक्जेंड्राइट सहित अलेक्जेंड्राइट लहसुनिया - काम किया`	कैरट	5000.00
10.	71039919	फीरोज़ा और चन्द्रवैदूर्य के अन्य पत्थर - काम किया	कैरट	5000.00
11.	71039921	चन्द्रकान्त - काम किया	कैरट	5000.00
12.	71039929	कोरन्डम और स्फतीय खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	कैरट	5000.00
13.	71039931	तामड़ा - काम किया	कैरट	5000.00
14.	71039932	लापीस-लाजुली - काम किया	कैरट	5000.00
15.	71039939	तामड़ा और लाज़ुराइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	कैरट	5000.00
16.	71039941	प्रेहनाइट - काम किया	कैरट	5000.00
17.	71039942	सुलेमानी - काम किया	कैरट	5000.00
18.	71039943	रूद्राक्ष - काम किया	कैरट	5000.00
19.	71039944	कैल्सेडनी - काम किया	कैरट	5000.00
20.	71039949	प्रेहनाइट और बिल्लौर खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	कैरट	5000.00
21.	71039951	तूरमली - काम किया	कैरट	5000.00
22.	71039952	तंजानित - काम किया	कैरट	5000.00
23.	71039959	तूरमली और ज़ोसाइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	कैरट	5000.00
24.	71039990	अन्य पत्थर पुखराज, सिट्रीन, नीलम - काम किया	कैरट	5000.00
25.	71049100	प्रयोगशाला में विकसित हीरा - काम किया	कैरट	5000.00
26.	71049900	अन्य कृत्रिम पत्थर और मोती - काम किया	किग्रा	100.00
27.	71131110	चांदी के महीन काम के साथ चांदी के आभूषण	किग्रा	100.00
28.	71131120	रत्न (हीरे के साथ) जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	500.00

29.	71131120	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए रत्न जड़ित (हीरे के साथ) चांदी के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर रत्न जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	500.00
30.	71131130	चांदी के आभूषण के अन्य सामग्री	किग्रा	500.00
31.	71131130	सादे चांदी के आभूषण बिना जड़ित	किग्रा	500.00
32.	71131130	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए चांदी के सादे आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर चांदी के सादे आभूषण	किग्रा	500.00
33.	71131190	चांदी के आभूषण के भाग	किग्रा	100.00
34.	71131910	सादे सोने के आभूषण बिना जड़ित	किग्रा	100.00
35.	71131910	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए सोने के सादे आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर सोने के सादे आभूषण	किग्रा	10.00
36.	71131920	मोती जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	20.00
37.	71131930	हीरे से जड़े सोने के आभूषण	किग्रा	100.00
38.	71131930	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए हीरे जड़ित सोने के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर हीरे से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	20.00
39.	71131940	कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	200.00
40.	71131940	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	20.00
41.	71131950	प्लेटिनम सादे और बिना जड़ित आभूषण	किग्रा	10.00
42.	71131960	सोने और प्लेटिनम आभूषण के हिस्से	किग्रा	10.00
43.	71131990	अन्य कीमती धातु के आभूषण	किग्रा	20.00
44.	71161000	प्राकृतिक और संवर्धित मोतियों की वस्तुएं	किग्रा	10.00
45.	71162000	प्राकृतिक, कृत्रिम और पुनर्निर्मित पत्थरों की वस्तुएं	किग्रा	10.00
46.	71171100	कफ़-लिंक्स और स्टड्स के नकली आभूषण के आधार धातु चाहे कीमती धातु से चढ़ाया हुआ या नहीं	किग्रा	50.00
47.	71171910	नकली आभूषण की चूड़ियाँ	किग्रा	50.00
48.	71171920	जर्मन चांदी के आभूषण	किग्रा	50.00

49.	71171990	कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ित मूल धातुओं के नकली आभूषण (हीरे को अलावा)	किग्रा	500.00
50.	71179010	नकली मोती या नकली या कृत्रिम पत्थरों से जड़ित आधार धातु के नकली आभूषण हीरे के अलावा	किग्रा	500.00
51.	71179090	नकली आभूषण पीतल, तांबा, टिन, जस्ता, इस्पात, कांस्य, पैलेडियम धातु कीमती और अर्द्ध कीमती के साथ जड़ी हीरे के अलावा	किग्रा	500.00
52.	96019020	मदर-ऑफ-पर्ल और वस्तुएं - काम किया	किग्रा	10.00
53.	81089010	टाइटेनियम के सादे और बिना जड़ित आभूषण	किग्रा	10.00
54.	91111000	कीमती धातु या धातु से बने घड़ी के केसेस	टुकड़े	1000.00
55.	91131000	कीमती धातुओं से बने घड़ी की पट्टियाँ, बैंड, ब्रेसलेट धातु के या कीमती धातु से ढके	टुकड़े	1000.00
56.	70181090	अन्य नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर और कांच के समान छोटे सामान	किग्रा	500.00

3.3.4 इकाई को पहले ही बता दी गई प्रस्ताव टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई वि.व्या.नी (FTP) 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 और वाणिज्य विभाग (DOC) द्वारा जारी निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 का कड़ाई से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई हीरों से जड़े चांदी के आभूषणों की रखरखावके संबंध में विकासक, एनएसईजेड, नोएडा के पत्र संख्या 1158 दिनांक 31.01.2023 द्वारा जारी एसओपी का भी पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम (BLUT) भी निष्पादित करेगी। **डीटीए (DTA) से मदर ऑफ पर्ल (एमओपी) जैसे आयात के लिए प्रतिबंधित उत्पादों की सोर्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, उचित अनुमोदन/लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

3.4 मैसर्स गणपति ज्वैलर्स क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड:

3.4.1 मौजूदा एलओए संख्या 2-186-एसईजेड-II (जे) परियोजना/126 दिनांक:03.05.2012, नई मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए मेसर्स गणपति ज्वैलर्स क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या जी1-49, एसईजेड-II का प्रस्ताव पर की बैठक में चर्चा की गई।

3.4.2 श्री विपुल विजय और नजमुद्दीन खान, प्रबंधक, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने सूचित किया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

3.4.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा एलओए में मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी।**

3.4.4 प्रस्ताव, इकाई को पहले ही बता दी गई टिप्पणियों के सुधार और 77,000/- रुपये (लगभग) के रीको देय राशि के भुगतान के अधीन है। इकाई वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 का कड़ाई से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई हीरों से जड़े चांदी के आभूषणों की रखरखावके संबंध में विकासक, एनएसईजेड, नोएडा के पत्र संख्या 1158 दिनांक 31.01.2023 द्वारा जारी एसओपी का भी पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम (BLUT) भी निष्पादित करेगी

3.5 मैसर्स अशोक ज्वेल्स (इकाई-II):

3.5.1 मैसर्स अशोक ज्वेल्स (इकाई-II), प्लॉट नंबर एफ-20, एसईजेड-II का मौजूदा एलओए नंबर 2-200-एसईजेड-II (जे) परियोजना /221 दिनांक: 23.09.2010 में नई मदों को जोड़ने/संशोधित करने का प्रस्ताव पर की बैठक में चर्चा की गई। इकाई का एलओए 28.11.2025 तक वैध है।

3.5.2 श्री आयुष अग्रवाल, प्रबंधक, इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

3.5.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा एलओए में मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मदों की समेकित/संशोधित सूची का उल्लेख यहां किया गया है:

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131110	चांदी के महीन काम के साथ चांदी के आभूषण	किग्रा	20.00
2.	71131120	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए रत्न जड़ित (हीरे के साथ) चांदी के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर रत्न जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	500.00
3.	71131130	चांदी के आभूषण के अन्य सामग्री	किग्रा	50.00
4.	71131130	सादे चांदी के आभूषण बिना जड़ित	किग्रा	250.00
5.	71131190	चांदी के आभूषण के भाग	किग्रा	20.00
6.	71131910	सादे सोने के आभूषण बिना जड़ित	किग्रा	250.00
7.	71131920	मोतियों से जड़े सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
8.	71131930	हीरे से जड़े सोने के आभूषण	किग्रा	100.000
9.	71131940	कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	500.00
10.	71131960	सोने के प्लेटिनम आभूषण के हिस्से	किग्रा	40.00

11.	71131990	अन्य कीमती धातु के आभूषण	किग्रा	50.00
12.	71171100	कफ़-लिंक्स और स्टड्स के नकली आभूषण के आधार धातु चाहे कीमती धातु से चढ़ाया हुआ या नहीं	किग्रा	10.00
13.	71171910	नकली आभूषण की चूड़ियाँ	किग्रा	20.00
14.	71171920	जर्मन चांदी के आभूषण	किग्रा	10.00
15.	71171990	कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ित मूल धातुओं के नकली आभूषण (हीरे को अलावा)10.00	किग्रा	20.00
16.	71179010	नकली मोती 30.00 या नकली या कृत्रिम पत्थरों से जड़ित आधार धातु के नकली आभूषण हीरे के अलावा	किग्रा	10.00
17.	71179090	नकली आभूषण पीतल, तांबा, टिन, जस्ता, इस्पात, कांस्य, पैलेडियम धातु कीमती और अर्द्ध कीमती के साथ जड़ी हीरे के अलावा	किग्रा	30.00
18.	71131950	प्लेटिनम सादे और बिना जड़ित आभूषण	किग्रा	4.00
19.	71011020	प्राकृतिक मोती-काम किया	किग्रा	3.00
20.	71012200	संवर्धित मोती - काम किया	किग्रा	3.00
21.	71023910	कट हीरे या अन्यथा काम किया गया, लेकिन चढ़ाया या सेट नही	कैरट	500.00
22.	71049100	प्रयोगशाला में विकसित हीरा - काम किया	कैरट	10.00
23.	71039110	माणिक- काम किया	किग्रा	10.00
24.	71039120	नीलम - काम किया	किग्रा	10.00
25.	71039130	पन्ना - काम किया	किग्रा	10.00
26.	71039911	पीला सुनहरा गुलाबी लाल हरा फीरोज़ा - काम किया	किग्रा	2.00
27.	71039912	चन्द्रवैदूर्य लहसुनिया सहित चन्द्रवैदूर्य - काम किया	किग्रा	1.00
28.	91039913	अलेक्जेंड्राइट सहित अलेक्जेंड्राइट लहसुनिया - काम किया`	किग्रा	2.00
29.	91039919	फीरोज़ा और चन्द्रवैदूर्य के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	2.00
30.	71039921	चन्द्रकान्त- काम किया	किग्रा	5.00
31.	71039929	कोरन्डम और स्फतीय खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	2.00
32.	71039931	तामड़ा - काम किया	किग्रा	5.00

33.	71039932	लापीस-लाजुली - काम किया	किग्रा	3.00
34.	71039939	तामड़ा और लाज़ुराइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	2.00
35.	71039941	प्रेहनाइट - काम किया	किग्रा	2.00
36.	71039942	सुलेमानी - काम किया	किग्रा	2.00
37.	71039943	रूद्राक्ष - काम किया	किग्रा	2.00
38.	71039944	कैल्सेडनी - काम किया	किग्रा	5.00
39.	71039949	प्रेहनाइट और बिल्लौर खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	2.00
40.	71039951	तूरमली - काम किया	किग्रा	10.00
41.	71039952	तंजानित - काम किया	किग्रा	10.00
42.	71039959	तूरमली और ज़ोसाइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	3.00
43.	71039990	अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	5.00
44.	71049900	अन्य कृत्रिम पत्थर और मोती - काम किया	किग्रा	5.00

3.5.4 प्रस्ताव, इकाई को पहले ही बता दी गई टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई सख्ती से वाणिज्य विभाग द्वारा जारी वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 का पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई हीरों से जड़े चांदी के आभूषणों की रखरखाव के संबंध में विकासक, एनएसईजेड, नोएडा के पत्र संख्या 1158 दिनांक 31.01.2023 द्वारा जारी एसओपी का भी पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम (BLUT) भी निष्पादित करेगी

3.6 मेसर्स जेम्स ट्रेडिंग सेंटर:

3.6.1 मौजूदा एलओए संख्या 2-81-एसईजेड-II (जे) परियोजना/1866 दिनांक: 03.03.2010, मैसर्स जेम्स ट्रेडिंग सेंटर, प्लॉट संख्या एफ-90, एसईजेड-द्वितीय का प्रस्ताव नई वस्तुओं के अतिरिक्त/संशोधन के लिए बैठक में पर चर्चा हुई। इकाई का एलओए 12.05.2025 तक वैध है।

3.6.2 श्री अनिल गुप्ता, प्रोपराइटर इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

I/4127/2023

3.6.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा एलओए में मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी।** मदों की **समेकित/संशोधित सूची** का उल्लेख यहां किया गया है:

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131130	सादे चांदी के आभूषण बिना जड़ित	किग्रा	1000.00
2.	71039990	अन्य पत्थर पुखराज, नीलम - काम किया	किग्रा	15.00
3.	71023910	हीरा - कट या अन्यथा काम किया लेकिन चढ़ाया या सेट नहीं	किग्रा	200.00
4.	71039110	माणिक- काम किया	किग्रा	150.00
5.	71039120	नीलम - काम किया	किग्रा	150.00
6.	71039130	पन्ना - काम किया	किग्रा	150.00
7.	71039911	पीला सुनहरा गुलाबी लाल हरा फीरोज़ा - काम किया	किग्रा	150.00
8.	71039912	चन्द्रवैदूर्य लहसुनिया सहित चन्द्रवैदूर्य - काम किया	किग्रा	150.00
9.	91039919	फीरोज़ा और चन्द्रवैदूर्य के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	150.00
10.	71039921	चन्द्रकान्त- काम किया	किग्रा	150.00
11.	71039929	कोरन्डम और स्फतीय खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	150.00
12.	71039931	तामड़ा - काम किया	किग्रा	150.00
13.	71039932	लापीस-लाजुली - काम किया	किग्रा	150.00
14.	71039939	तामड़ा और लाज़ुराइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	150.00
15.	71039941	प्रेहनाइट - काम किया	किग्रा	150.00
16.	71039942	सुलेमानी - काम किया	किग्रा	150.00
17.	71039943	रूद्राक्ष - काम किया	किग्रा	150.00
18.	71039944	कैल्सेडनी - काम किया	किग्रा	150.00
19.	71039949	प्रेहनाइट और बिल्लौर खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	150.00
20.	71039951	तूरमली - काम किया	किग्रा	150.00
21.	71039952	तंजानित - काम किया	किग्रा	150.00
22.	71039959	तूरमली और ज़ोसाइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	150.00

I/4127/2023

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
23.	71039990	अन्य पत्थर पुखराज, सिट्रीन, नीलम - काम किया	किग्रा	150.00
24.	71131110	चांदी के महीन काम के साथ चांदी के आभूषण	किग्रा	150.00
25.	71131120	रत्न (हीरे के साथ) जड़ित चांदी के आभूषण	किग्रा	5000.00
26.	71131130	चांदी के आभूषण के अन्य सामग्री	किग्रा	2000.00
27.	71131130	सादे चांदी के आभूषण बिना जड़ित	किग्रा	2000.00
28.	71131130	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए चांदी के सादे आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर चांदी के सादे आभूषण	किग्रा	1000.00
29.	71131190	चांदी के आभूषण के भाग	किग्रा	500.00
30.	71131910	सादे सोने के आभूषण बिना जड़ित	किग्रा	200.00
31.	71131910	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए सोने के सादे आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर सोने के सादे आभूषण	किग्रा	150.00
32.	71131920	मोती जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	200.00
33.	71131930	हीरे से जड़े सोने के आभूषण	किग्रा	200.00
34.	71131930	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए हीरे जड़ित सोने के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर हीरे से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	200.00
35.	71131940	कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	200.00
36.	71131940	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	200.00
37.	71131950	प्लेटिनम सादे और बिना जड़ित आभूषण	किग्रा	150.00
38.	71131990	अन्य कीमती धातु के आभूषण	किग्रा	150.00
39.	71171100	कफ़-लिंक्स और स्टड्स के नकली आभूषण के आधार धातु चाहे कीमती धातु से चढ़ाया हुआ या नहीं	किग्रा	150.00
40.	71171910	नकली आभूषण की चूड़ियाँ	किग्रा	150.00
41.	71171920	जर्मन चांदी के आभूषण	किग्रा	150.00
42.	71171990	कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ित मूल धातुओं के नकली आभूषण (हीरे को अलावा)	किग्रा	200.00
43.	71179010	नकली मोती या नकली या कृत्रिम पत्थरों से जड़ित आधार धातु के नकली आभूषण हीरे के अलावा	किग्रा	200.00

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
44.	71179090	नकली आभूषण पीतल, तांबा, टिन, जस्ता, इस्पात, कांस्य, पैलेडियम धातु कीमती और अर्द्ध कीमती के साथ जड़ी हीरे के अलावा	किग्रा	200.00

इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से विकास आयुक्त के कार्यालय को आवश्यक दस्तावेजों और चार्ट को प्रस्तुत करने के अनुसार फ़ाइल पर मौजूदा एलओए में निम्नलिखित मदों को जोड़ने के लिए इकाई के प्रस्ताव पर निर्णय लेने का अधिकार दिया: -

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:
1.	71131120	**रत्न (हीरे के साथ) जड़ित चांदी के आभूषण**
2.	71131120	**पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए रत्न जड़ित (हीरे के साथ) चांदी के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर रत्न जड़ित चांदी के आभूषण**

3.6.4 प्रस्ताव, इकाई को पहले ही बता दी गई टिप्पणियों के सुधार और 4.79 लाख रुपये (लगभग) के रीको देय राशि के भुगतान के अधीन है। इकाई वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 का कड़ाई से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए बांड सह कानूनी उपक्रम (BLUT) भी निष्पादित करेगी।

3.7 मैसर्स सोनी इंटरनेशनल ज्वैलरी एमएफजी कंपनी:

3.7.1 मौजूदा एलओए संख्या 1-4/2003-एसईजेड-I (जे) परियोजना/2022 दिनांक: 15.10.2003, में नई वस्तुओं को जोड़ने/संशोधित करने के लिए, मैसर्स सोनी इंटरनेशनल ज्वेलरी एमएफजी कंपनी, प्लॉट नंबर एफ-22, एसईजेड-I के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

3.7.2 निर्यात कार्यकारी श्री दिलीप कुमार और संजीव खंडेलवाल, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। समिति द्वारा पूछे जाने पर, उन्होंने सूचित किया कि इकाई आगे की कार्रवाई के लिए सही विवरण और टिप्पणियों के जवाब के साथ संशोधित फॉर्म-एफ3 जमा करेगी।

3.7.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा एलओए में मदों को जोड़ने/संशोधित करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी**। मदों की **समेकित/संशोधित सूची** का उल्लेख यहां किया गया है:

क्रमांक	आईटीसी	वस्तु विवरण:	मीट्रिक	उत्पादन क्षमता
1.	71131920	मोती जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
2.	71131930	हीरे से जड़े सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
3.	71131930	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए हीरे जड़ित सोने के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर हीरे से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
4.	71131940	कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
5.	71131940	पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों से जड़ित सोने के आभूषण	किग्रा	50.00
6.	71131950	प्लेटिनम सादे और बिना जड़ित आभूषण	किग्रा	50.00
7.	71131960	सोने के प्लेटिनम आभूषण के हिस्से	किग्रा	50.00
8.	71131990	अन्य कीमती धातु के आभूषण	किग्रा	500.00
9.	71011020	प्राकृतिक मोती-काम किया	किग्रा	100.00
10.	71012200	संवर्धित मोती - काम किया	किग्रा	100.00
11.	71023910	कट हीरे या अन्यथा काम किया गया, लेकिन चढ़ाया या सेट नही	किग्रा	5.00
12.	71039120	नीलम - काम किया	किग्रा	5.00
13.	71039911	पीला सुनहरा गुलाबी लाल हरा फीरोज़ा - काम किया	किग्रा	10.00
14.	71039919	फीरोज़ा और चन्द्रवैदूर्य के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	100.00
15.	71039921	चन्द्रकान्त - काम किया	किग्रा	100.00
16.	71039929	कोरन्डम और स्फतीय खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	100.00
17.	71039931	तामड़ा - काम किया	किग्रा	100.00
18.	71039932	लापीस-लाजुली - काम किया	किग्रा	100.00
19.	71039939	तामड़ा और लाज़ुराइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	100.00

20.	71039941	प्रेहनाइट - काम किया	किग्रा	100.00
21.	71039942	सुलेमानी - काम किया	किग्रा	100.00
22.	71039943	रूद्राक्ष - काम किया	किग्रा	100.00
23.	71039944	कैल्सेडनी - काम किया	किग्रा	100.00
24.	71039949	प्रेहनाइट और बिल्लौर खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	100.00
25.	71039951	तूरमली - काम किया	किग्रा	100.00
26.	71039952	तंजानित - काम किया	किग्रा	100.00
27.	71039959	तूरमली और ज़ोसाइट खनिज प्रजातियों के अन्य पत्थर - काम किया	किग्रा	100.00
28.	71039990	अन्य पत्थर पुखराज, सिट्रीन, नीलम - काम किया	किग्रा	100.00
29.	71049100	प्रयोगशाला में विकसित हीरा - काम किया	किग्रा	5.00
30.	71049900	अन्य कृत्रिम पत्थर और मोती - काम किया	किग्रा	100.00
31.	71161000	प्राकृतिक और संवर्धित मोतियों की वस्तुएं	किग्रा	100.00
32.	71162000	प्राकृतिक, कृत्रिम और पुनर्निर्मित पत्थरों की वस्तुएं	किग्रा	1000.00
33.	71179010	नकली मोती या नकली या कृत्रिम पत्थरों से जड़ित आधार धातु के नकली आभूषण हीरे के अलावा	किग्रा	10000.00
34.	71179090	नकली आभूषण पीतल, तांबा, टिन, जस्ता, इस्पात, कांस्य, पैलेडियम धातु कीमती और अर्द्ध कीमती के साथ जड़ी हीरे के अलावा	किग्रा	10000.00
35.	70181090	अन्य नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर और कांच के समान छोटे सामान	किग्रा	1000.00

इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से विकास आयुक्त को मौजूदा एलओए में निम्नलिखित मदों को शामिल करने और आवश्यक दस्तावेजों और चार्ट को प्रस्तुत करने के अनुसार फ़ाइल पर अधिकृत संचालन का निर्णय लेने का अधिकार दिया: -

क्रमांक	**आईटीसी**	**वस्तु विवरण:**
1.	71131120	**रत्न (हीरे के साथ) जड़ित चांदी के आभूषण**

2.	71131120	**पुराने/ टूटे हुए,/ उपयोग किए गए रत्न जड़ित (हीरे के साथ) चांदी के आभूषणों से मरम्मत, पुनर्निर्माणित और फिर पिघलाकर रत्न जड़ित चांदी के आभूषण**

3.6.4 प्रस्ताव ऊपर उल्लिखित टिप्पणियों के सुधार के अधीन है। इकाई वि.व्या.नी 2015-20 से संबंधित निर्देश संख्या 88 दिनांक 16.08.2017 और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 का कड़ाई से पालन करेगी। इसके अलावा, इकाई उपरोक्त उद्देश्यों के लिए BLUT भी निष्पादित करेगी।

4. एम/एस जेम सेंटर, प्लॉट संख्या जी1-30, एसईजेड-I, सीतापुरा, जयपुर (राजस्थान) , मालिक के निधन के कारण प्रोपराइटरशिप और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव:

4.1 दिनांक 25.01.2023 बैठक में प्रोपराइटर के निधन के कारण मैसर्स जेम सेंटर, प्लॉट संख्या जी1-30, एसईजेड-I सीतापुरा, जयपुर के स्वामित्व में परिवर्तन और इकाई की शेयरधारिता के प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

4.2 सुश्री नीना जैन, बेटी और कानूनी उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री शांति कुमार शाह की पंजीकृत इच्छा दिनांक 13.03.2020 के अनुसार उप-पंजीयक-एक्स, जयपुर ने फर्म के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए आवेदन किया है। विकासक (रीको) ने वसीयत दिनांक 13.03.2020 के अनुसार स्वामी के परिवर्तन के लिए दिनांक 22.03.2023 के पत्र द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र पहले ही जारी कर दिया है।

4.3 सुश्री नीना जैन, प्रोपराइटर, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुईं और प्रस्ताव को समझाया। मौजूदा/नए प्रोपराइटर के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है:

मौजूदा भागीदार / शेयरधारिता		संशोधित भागीदार / शेयरधारिता	
मालिक का नाम	शेयर %	साझेदार का नाम	शेयर %
श्री शांति कुमार शाह, एकमात्र मालिक का 25.01.2023 को निधन हो गया है	100%	सुश्री नीना जैन	100%

4.4 समिति ने पाया कि सुश्री नीना जैन एक अमेरिकी नागरिक हैं और एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2 (v) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की परिभाषा के तहत अच्छी तरह से शामिल हैं, जो निम्नानुसार है

"व्यक्ति" में एक व्यक्ति शामिल है, चाहे भारत में निवासी हो या भारत के बाहर, एक हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी समिति, एक कंपनी, चाहे वह भारत में शामिल हो या भारत के बाहर, एक फर्म, मालिकाना चिंता, या व्यक्तियों का एक संघ या निकाय व्यक्ति, चाहे निगमित हो या नहीं, स्थानीय प्राधिकरण या ट्रस्ट या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी संस्था और किसी भी एजेंसी, कार्यालय या शाखा का स्वामित्व या नियंत्रण ऐसे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, सहकारी, संघ, निकाय, प्राधिकरण, कंपनी ट्रस्ट या संस्था;"...

4.4 अभिलेखों और प्रस्ताव के तथ्यों की जांच करने पर, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:

एक एकल स्वामित्व में स्थायी उत्तराधिकार नहीं होता है।

a. प्रोपराइटर की मृत्यु के बाद, कानूनी उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार ही संपत्ति का वारिस होगा।
b. स्वर्गीय श्री शांति कुमार शाह की मृत्यु की तिथि (25.01.2023) की स्थिति के अनुसार संपत्ति और देनदारियां सुश्री नीना जैन द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में ली जाएंगी।
c. कानूनी उत्तराधिकारी की इच्छा के अनुसार एकमात्र मालिक की मृत्यु के बाद व्यवसाय जारी रखा जा सकता है, लेकिन नए प्रवेशकों के कारण व्यवसाय को नई पहचान (नया पैन/आईईसी/नया मालिक और बैंक खाता विवरण) मिलेगा। **इस प्रकार, नए एलओपी तदनुसार जारी किए जाएंगे।**

4.5 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने एसईजेड अधिनियम की धारा 2(v) और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 के मद्देनजर शेयरधारिता पैटर्न और प्रस्ताव के स्वामित्व में बदलाव के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। इसने विकासक, एनएसईजेड के कार्यालय को इसे फाइल पर लेने के लिए अधिकृत किया।

5 प्रोपराइटरशिप और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव का प्रस्ताव:

5.1 मैसर्स जैन जेम्स इंटरनेशनल एलएलपी:

5.1.1 मैसर्स जैन जेम्स इंटरनेशनल एलएलपी, प्लॉट नंबर एफ-31 और एफ-32, एसईजेडआईआई के भागीदारों के परिवर्तन और फर्म के शेयरधारिता पैटर्न के प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गई। इकाई ने 25.01.2017 को उत्पादन शुरू कर दिया है और इकाई का एलओए 24.01.2027 तक वैध है।
5.1.2 इकाई ने फर्म के भागीदारों के परिवर्तन के लिए आवेदन किया है और मौजूदा और संशोधित भागीदारों के शेयरधारिता पैटर्न का विवरण नीचे दिया गया है:

	मौजूदा भागीदार / शेयरधारिता		**01.04.2022 को संशोधित भागीदार / शेयरधारिता**	
	साझेदार का नाम	**शेयर %**	**साझेदार का नाम**	**शेयर %**
1.	श्री निर्मल कुमार बर्दिया	92%	श्री निर्मल कुमार बर्दिया	92%
2.	श्री प्रमोद दर्डा	8%	श्रीमती कुसुम बर्दिया	8%

5.1.3 श्री कमल गुप्ता, प्रबंधक, इकाई की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। समिति द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इकाई रीको अर्थात (विकासक) की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी और आगे की कार्यवाही के लिए पहले ही अवगत करायी गयी अन्य टिप्पणियों का उचित जवाब देगी।

5.1.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने सर्वसम्मति से रीको (विकासक) से एनओसी जमा करने और दिनांक: 18.10.2021 को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किया निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में एगंडा में इंगित अन्य टिप्पणियों के अधीन शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव और फर्म के भागीदारों में बदलाव के प्रस्ताव को **मंजूरी दे दी**।

I/4127/2023

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

(सुरेंद्र कुमार मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त

****